

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम— प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरुपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष— Block level gender sensitisation of ANM/LHV/Paramedical staff

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या— A.7.2.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —

शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत हैं, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विशय है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरुद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है ।

वित्तीय दिशा निर्देश

प्रखण्ड स्तरीय लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक प्रखण्ड के ए0एन0एम0/एल0एच0भी0/पारामेडिकल कर्मचारी (कुल 50 प्रतिभागी) का लिंग संवेदीकरण से संबंधित कार्यशाला का आयोजन संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रशिक्षित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बी0सी0एम0 के द्वारा किया जाना है ।

प्रखण्ड स्तरीय कार्यशाला हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं0	कार्यशाला में व्यय होने वाले मद	इकाई राशि (रु0 में)
1.	कार्यशाला के दौरान स्नैक्स एवं चाय	20/- रु0 प्रति प्रतिभागी
2.	कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री	10/- रु0 प्रति प्रतिभागी
3.	मिशलेनियस	500/- प्रति प्रखण्ड

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम—डा० एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर—9470003022

₹

(R)
13/7/13

CJY